



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 02.11.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

### थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा 06 नफर अभियुक्तों को जुआ अधिनियम में गिरफ्तार किया गया



आज दिनांक 02.11.2022 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा चलाये जा रहे अपराध के रोकथाम अभियान के अनुपालन में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल मार्गदर्शन व प्रभारी निरीक्षक श्री बलवन्त शाही के निर्देशन मे चेंकिंग संदिग्ध, तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी के दौरान उ0नि0 मो0 अनीस मय पुलिस बल द्वारा थाना स्थानीय से 05 किमी उत्तर पूरब दिशा में इब्राहिमपुर से लौकिहा जाने वाले मार्ग पर स्थित स्कूल के पास चकमार्ग पर वहद ग्राम लौकिहा से 06 नफर अभियुक्तों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगणों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग मु0अ0सं0-0542/2022 धारा 13 G ACT पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही पूर्ण की गयी ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. मुरली पुत्र इतवारी उम्र करीब 22 वर्ष
  2. संतोष पुत्र भोली उम्र करीब 33 वर्ष
  3. शिशुपाल पुत्र मुन्नालाल उम्र करीब 30 वर्ष
  4. महादेव पुत्र मैकू उम्र करीब 38 वर्ष
  5. रमाकान्त पुत्र सियाराम उम्र करीब 57 वर्ष
  6. जयप्रकाश पुत्र बृजनन्दन उम्र करीब 42 वर्ष
- सर्व0निवासीगण ग्राम लौकिहा थाना फूलबेहड़ जिला खीरी

## बरामदगी का विवरण

52 अदद तास के पत्ते व माल फड़ रुपये 2380 रुपये व जामा तलाशी 7800 रुपये।

## गिरफ्तारी/बरामदगी पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 श्रीमो0 अनीस थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
2. का0 अनिरुद्ध यादव थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
3. का0 रोहित कुमार थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
4. का0 संजीव कुमार थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।

**थाना फूलबेहड़ द्वारा 01 नफर अभियुक्त को करीब 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया**



आज दिनांक 02.11.2022 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधी गिरफ्तारी व अवैध शराब रोकथाम अभियान के अनुपालन में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल मार्गदर्शन व प्रभारी निरीक्षक श्री बलवन्त शाही के निर्देशन में उ0नि0 श्री मो0 अनीस मय पुलिस बल द्वारा थाना स्थानीय से 14 किमी उत्तर दिशा में स्थित वहद ग्राम भवानी टाण्डा से अवैध कच्ची शराब बनाते हुये 01 नफर अभियुक्त नरेश पुत्र ब्रिजलाल निवासी भवानी टांडा थाना फूलबेहड़ जिला खीरी उम्र करीब 38 वर्ष को करीब 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तके विरूद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये थानाहाजा पर मु0अ0सं0 541/2022 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

नरेश पुत्र ब्रिजलाल निवासी भवानी टांडा थाना फूलबेहड़ जिला खीरी उम्र करीब 38 वर्ष ।

**बरामदगी का विवरण**

एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

1. उ०नि० श्री मो० अनीस थाना फूलबेहड़ जिला खीरी ।
2. का० संजीव कुमार थाना फूलबेहड़ जिला खीरी ।

**थाना नीमगांव पुलिस द्वारा , 01 नफर अभियुक्त के पास से 05 अदद पिपियों में करीब 110 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरादमद कर गिरफ्तार किया गया।**



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के कुशल निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नीमगांव के नेतृत्व में थाना नीमगांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.11.2022 को अभियुक्त कुलदीप पुत्र रामगोपाल निवासी लोनिपुरवा थाना नीमगांव जनपद खीरी को कोल्हू के पास से 05 अदद प्लास्टिक पिपियों में करीब 110 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर व करीब 500 लीटर लहन मौके पर नष्ट कर थाना हाजा पर मु0अ0स0 375/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है ।

**नाम व पता अभियुक्त-**

1. कुलदीप पुत्र रामगोपाल निवासी लोनिपुरवा थाना नीमगांव जनपद खीरी

## बरामदगी-

1. 05 अदद प्लास्टिक की पिपियों में करीब 110 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण व करीब 500 लीटर लहन मौके पर नष्ट ।

## आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 375/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी

## गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री शिव कुमार सिंह थाना नीमगांव जनपद खीरी
2. का0 अंकित कुमार थाना नीमगांव जनपद खीरी
3. का0 सुमित जैनर थाना नीमगांव जनपद खीरी
4. का0 संजय कुमार यादव थाना नीमगांव जनपद खीरी
5. म0का0 निधी थाना नीमगांव जनपद खीरी

## थाना निघासन पुलिस द्वारा, अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बनाते पति-पत्नी को गिरफ्तार किया गया



श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद स्तर पर वारण्टी / वाछिंत / संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शराब के निष्कर्षण व विक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्र०नि० श्री चन्द्रभान यादव कोतवाली निघासन के कुशल मार्गदर्शन में निघासन पुलिस बल व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 02 अभियुक्त 1. दिलेराम उर्फ छन्नू पुत्र फूलचन्द 2. संगीता पत्नी दिलेराम उर्फ छन्नू निवासीगण चिड़ीमारनपुरवा मजरा रकेहटी कोतवाली निघासन जनपद लखीमपुर खीरी को ग्राम चिड़ीमारपुरवा के दक्षिण गन्ने के खेत से दिनांक 01.11.2022 को समय रात्रि 03.15pm बजे गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों की जामा तलाशी से एक प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 250 ग्राम यूरिया की बरामदगी हुई है साथ ही मौके पर करीब 150 लीटर लहन व उपकरणों को नष्ट किया गया। अभियुक्त दिलेशराम उर्फ छन्नू व संगीता के विरूद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया है। नियमानुसार कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

### पंजीकृत अभियोग विवरण -

मु०अ०सं० 856/2022 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भा०दं०वि० बनाम 1. दिलेराम उर्फ छन्नू पुत्र फूलचन्द 2. संगीता पत्नी दिलेराम उर्फ छन्नू निवासीगण चिड़ीमारनपुरवा मजरा रकेहटी कोतवाली निघासन जनपद लखीमपुर खीरी

### अभियुक्तगण से बरामदगी विवरण -

एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 250 ग्राम यूरिया

## अभियुक्त दिलेराम उर्फ छत्रु का अपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 674/2021 धारा 323, 427, 506 भा०दं०वि० कोतवाली निघासन खीरी

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

### टीम-A

1. उ०नि० ओमप्रकाश सरोज कोतवाली निघासन
2. म०आ० मंजू देवी कोतवाली निघासन
3. का० योगेन्द्र कुमार कोतवाली निघासन
4. का० कौशल कुमार कोतवाली निघासन

### टीम-B

1. आबकारी निरी० मनोज कुमार यादव आबकारी क्षेत्र 3 निघासन
2. आ०सि० विजय कुमार आबकारी क्षेत्र 3 निघासन
3. आ०सि० उमेश कुमार आबकारी क्षेत्र 3 निघासन

## **कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व खोखा कारतूस बरामद कर अभियुक्त इमरान खां पुत्र इखलाख को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त इमरान खां पुत्र इखलाख नि० संकटा देवी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर मु०अ०सं० 1295/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## **थाना मितौली पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त रमाशंकर पुत्र जगदीश को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त रमाशंकर पुत्र जगदीश नि० खुड़ेहरा थाना मितौली जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मितौली पर मु०अ०सं० 388/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## **थाना निघासन पुलिस द्वारा, 06 नफर अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना निघासन पुलिस द्वारा 06 नफर अभियुक्तों भूरे उर्फ अहसान अली पुत्र हसनू, चम्पू पुत्र भूरे, अमीर पुत्र भूरे, मुन्ना पुत्र भूरे, सादिम पुत्र अमानत व मोहम्मद अली पुत्र अली हसन नि०गण थाना निघासन जनपद खीरी के विरुद्ध सुसंगठित गिरोह बनाकर अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त कर आर्थिक व भौतिक लाभ लेने के लिए मु०अ०सं० 858/22 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई।

## थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 05 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 05 नफर अभियुक्तों को 52 अदद ताश के पत्तें व कुल 1,380 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मैगलगंज पर मु0अ0सं0 378/22 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 768/22 धारा 457/380/411 भादवि में वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र मूलचन्द्र नि0 बिजुआ थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।
2. थाना फरधान पुलिस द्वारा, अ0सं0 277/20 धारा 138 विद्युत अधि0 में वारंटी अभियुक्त इस्लाम पुत्र अंगने नि0 पिपरवा थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।

**अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 80 लीटर अवैध शराब बरामद कर 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **80 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **03 शराब भट्टी** बरामद कर **05 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **04 अभियोग** पंजीकृत किए गए।